UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-XI **APRIL-2021 TO JUNE-2021** **ISSUE-II**

e-NEWSLETTER

Quarterly Newsletter of Uttarakhand SLSA
Compiled by
Mr. R. K. Khulbey, Member Secretary, UKSLSA

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,
e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
website : www.slsa.uk.gov.in
Portal For Free Legal Aid: https://uklegalaidservices.uk.gov.in
Facebook Link: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa
Facebook Page Link: https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873
Youtube Link: https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ
TOLL FREE NO. 18001804000, 15100

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL

Hon'ble Mr.Justice Raghvendra Singh Chauhan,
Hon'ble Patron-in-Chief,
UKSLSA,Nainital

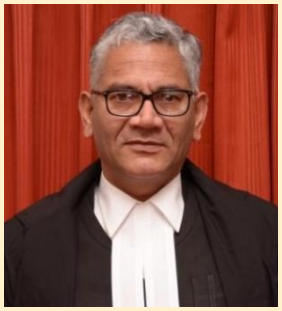

Hon'ble Mr.Justice Manoj Kumar Tiwari,
Hon'ble Executive Chairman,
UKSLSA,Nainital

Hon'ble Mr.Justice Narayan Singh Dhanik
Hon'ble Chairman,
HCLSC, Nainital

Mr. R.K. Khulbey,
Member Secretary, UKSLSA, Nainital

Mr. Sayed Gufran,
Officer on Special Duty, UKSLSA, Nainital

E-NEWS LETTER FOR APRIL-2021 TO JUNE-2021

MULTI-PURPOSE LEGAL LITERACY-CUM-MEDICAL CAMP AT JAULJIBI FAIR GROUND,PITHORAGARH:

On 04th April, 2021,a Multi-purpose/New Module Legal Service Camp was organized in the Jauljibi Fair Ground at District Pithoragarh. The said camp was organized as per the direction of the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital. The said multipurpose camp was inaugurated by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA Nainital. The Member Secretary, UKSLSA, District Judge/Chairman and Secretary, DLSA Pithoragarh and other judicial officers were also present in the said multipurpose camp. Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA Nainital informed the participants that every citizen should be aware about their rights and obligations.Legal Services Institutions have been constituted/established to ensure Access to Legal Services for the common mass by providing them free legal aid. Goal of legal aid would be achieved when all the needy and poor people are aware and are getting benefits from it as it is their fundamental right.

In the above Multi-purpose camp total **1109 people** were benefited and Wheelchairs, Spectacles, Hearing Aid, Blanket Shawls and medicines etc.provided to them. Free medical check up of the people including heart patients were also conducted.

Besides the above, Certificates relating to Income ,Caste, Domicile, Disability, Death, Birth, B.P.L. Category were provided to **425 people.** Widow, Old Age pension Applications, workers registration form, renewal of workers registration, Aadhar Card form etc. received by the departments in order to process so that maximum no. of persons may be benefitted.

पिथौरागढ़/चम्पावत जागरण 2 दैनिक जागरण हल्द्वानी, 5 अप्रैल, 2021

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक

संवाद सूत्र, जौलजीबी: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के जौलजीबी मेला प्रांगण में बहुद्देश्यीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यपालक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी ने दीप जला कर किया।

न्यायाधीश मनोज तिवारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की आसानी से रक्षा कर सकता है। उन्होंने कहा कि न्याय को और अधिक सरल व सुगम बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराते हुए सबसे लिए समान न्याय की व्यवस्था करना है।

पिथौरागढ़ के जौलजीबी में रविवार को आयोजित बहुद्देशीय शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते न्यायमूर्ति मनोज तिवारी (दाएं से दूसरे) • जागरण

विधवा, वृद्धावस्था पेंशन के फार्म भरे गए

शिविर में महिला समाज कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग चार विधवा, आठ वृद्धावस्था, तीन दिव्यांग, तीन किसान पेंशन, दो नंदा गौरा देवी के फार्म स्वीकृत करने के साथ ही चार दिव्यांग व्यक्तियों के ह्वील चेयर वितरित की। श्रम विभाग ने 35 श्रमिकों के पंजीयन फार्म भरने के साथ 23 नवीनीकरण और सौ व्यक्तियों को लाभार्थी फार्म वितरित किए।

ये अधिकारी रहे मौजूद : सीडीओ अनुराधा पाल, सीजेएम सुधीर कुमार, एडीएम आरडी पालीवाल, ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी, एसडीएम केएन गोस्वामी, सीएमओ डा. एचसी पंत, हंस फाउंडेशन के परमिंदर बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सदस्य सचिव उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार खुल्बे ने प्राधिकरण के कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी दी। जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक जानकारी प्रदान करने के साथ ही विभिन्न विभागों के शिविरों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी भी देना है।

अमर उजाला पिथौरागढ़-चंपावत नैनीताल | सोमवार, 5 अप्रैल 2021 7

अधिकारों के लिए जागरूक होना जरूरी : न्यायमूर्ति तिवारी

जौलजीबी में बहुउद्देश्यीय विधिक साक्षरता शिविर में व्हीलचेयर समेत कई सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, पंजीकरण का लाभ मिला

संवाद न्यूज एजेंसी

धारचूला (पिथौरागढ़)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जौलजीबी में बहुउद्देश्यीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक मनोज तिवारी ने किया। न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा आसानी से कर सकता है।

उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कुमार खुल्बे ने प्राधिकरण और विधिक सेवा की जानकारी दी। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज डॉ. जीके शर्मा ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक और योजनाओं की जानकारी देना है। चार संघ के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि न्याय चरण निर्धन के द्वार के क्रम में लोगों को जानकारी मिली। न्यायमूर्ति तिवारी ने सीडीओ अनुराधा पाल समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों से शिविर में प्राप्त समस्याएं सुलझाने को कहा। जोआईसी जौलजीबी की बालिकाओं ने स्वागत गीत गाया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने संचालन किया। डॉ. दीप चौधरी ने जौलजीबी का इतिहास बताया। शिविर में सीजेएम सुधीर कुमार, एडीएम आरडी पालीवाल, ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी, एसडीएम केएन गोस्वामी, सीएमओ एचसी पंत, हंस फाउंडेशन से परमिंदर सिंह बिष्ट आदि रहे।

जौलजीबी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़। संवाद न्यूज एजेंसी

दिव्यांगजनों के साथ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं जिला जज डॉ. जीके शर्मा।

व्हील चेयर पाकर खिल उठे दिव्यांगों के चेहरे

जौलजीबी (पिथौरागढ़)। शिविर में कई विभागों ने स्टॉल लगाए। महिला और समाज कल्याण विभाग ने विधवा पेंशन के चार, वृद्धा पेंशन आठ, दिव्यांग पेंशन के तीन, किसान पेंशन के तीन, नंदा गौरादेवी के दो फार्म स्वीकृत कर चार दिव्यांग व्यक्तियों को निशुल्क व्हील चेयर बांटी गई। शिविर में अलमोड़ा से आए निजी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. लक्ष्मण लाल ने 80 हृदय से संबंधित रोगियों का स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया। पिथौरागढ़ स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर 245 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही 26 दिव्यांग प्रमाणपत्र भी बनाए गए। शिविर में हंस फाउंडेशन ने 25 स्टॉल चेयर, 2000 मास्क, 700 पानी, 300 कान की मशीन, दवा, कंबल, शॉल बांटे गए। श्रम विभाग ने 35 श्रमिकों के पंजीयन फार्म भरे। 23 नवीनीकरण और 100 व्यक्तियों को लाभार्थी फार्म बांटे। उद्योग विभाग, बाल विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। (संवाद)

MEETING OF HON'BLE HIGH POWER COMMITTEE DATED 17.05.2021:

In compliance of the Order dated 07.05.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in Suo Moto Writ Petitions (C) No. 1/2020-IN RECONTAGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS and order dated 06.05.2021 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) No. 58 of 2021 (Omveer Singh Vs. State of Uttarakhand and others) and as per directions of Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, a Hon'ble High Power Committee meeting was convened on 17.05.2021. The said meeting was chaired by the Hon'ble Mr. Justice Manoj Tiwari, Executive Chairman, UKSLSA and other members of the committee, Secretary, Home Govt. of Uttarakhand and IG Prison, Uttarakhand Dehradun have attended the meeting. Hon'ble High power committee has recommended that 106 convicted prisoners and 685 under trial prisoners shall be released on parole/interim bail for 90 days. Hon'ble High power committee has directed that the convicts/ undertrials which are to be released on parole/interim bail, shall undergo RT-PCR and other tests for Covid-19 before their release. The Chief Medical Officer of the concerned district shall be asked to conduct proper health check-ups of such prisoners/undertrials before their release on parole or interim bail. They may also be requested to make necessary arrangements regarding the medical examination (COVID-19 Examination) of such prisoners/undertrials before they are transmitted from the jail to their respective places.

MEETING OF HON'BLE HIGH POWER COMMITTEE DATED 23.06.2021:

In compliance of the Order dated 07.05.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in Suo Moto Writ Petitions (C) No. 1/2020-IN RECONTAGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS and order dated 06.05.2021 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) No. 58 of 2021 (Omveer Singh Vs. State of Uttarakhand and others) and as per directions of Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, the Second Hon'ble High Power Committee meeting was convened on 23.06.2021.The said meeting was chaired by the Hon'ble Mr. Justice Manoj Tiwari, Executive Chairman, UKSLSA and other members of the committee, Secretary, Home Govt. of Uttarakhand and IG Prison, Uttarakhand Dehradun have attended the meeting. Hon'ble High power committee has recommended that 24 convicted prisoners and 79 under trial prisoners shall be released on parole/interim bail only for 60 days. The convicts and under-trials of other countries be not considered for release on parole/interim bail by the Hon'ble Committee considering the future complications regarding ensuring their presence in the course of trial/in jails for serving the sentences. The list of sick convicts/under-trials prisoners has taken into consideration to be released on parole/interim bail. It is directed that the other conditions shall be as per the previous order/recommendation of Hon'ble High Powered Committee.

VIDEO CONFERENCING SESSION:

1. As per directions of Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital a meetting on 04.05.2021 was convened by the UKSLSA with secretaries, District legal services authorities of the state of Uttarakhand through Video Conference.The meeting was chaired by the Hon'ble member secretary UKSLSA Sri R.K.Khulbe. In the said meeting issues regarding progress report of DLSAs in light of the letter dated 21.04.2021 of NALSA, Legal Aid related activities of DLSAs during the second wave of COVID-19 Pandemic were discussed.

2 On 21.06.2021, again a Video conferencing session was conducted. During this VC Session the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA was interacted with the Chairpersons and Secretaries of District Legal Services Authorities. In the said video conferencing session the matter regarding upcoming National Lok Adalat (10.07.2021) and other issues were discussed.

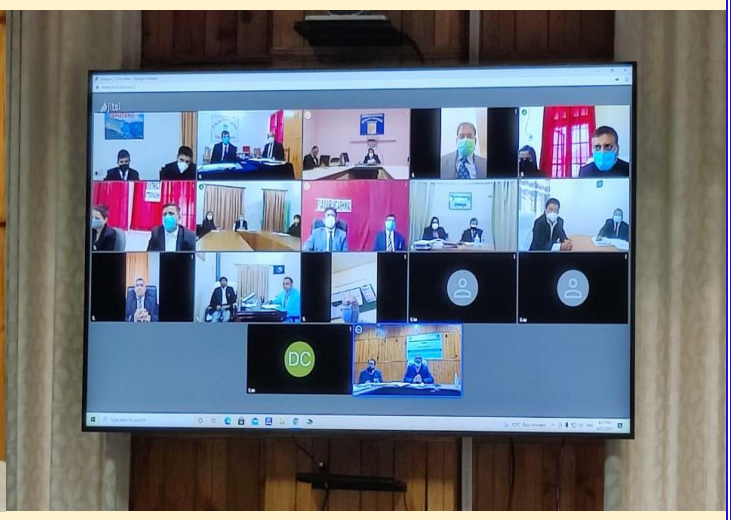

REGIONAL CONSULTATION (NORTHERN ZONE) OF STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES:

As per directions of Hon'ble Executive Chairman, National Legal Services Authority, a Regional Consultation (Northern Zone) of State Legal Services Authorities was held on 14th June, 2021 through virtual mode. The said Regional Consultation was chaired by the Hon'ble Executive Chairman, NALSA and attended by the Hon'ble Executive Chairman and Member Secretary, Uttarakhand SLSA, Nainital including the Hon'ble Executive Chairman, State Legal Services Authorities Jammu & Kashmir, Ladakh and Uttar Pradesh. Points for Discussion of the afroesaid Regional Consultation were:

(1) Front Offices
(2) Panel Lawyers –review, reassess and resize of panel
(3) Retainer Lawyers
(4) Early Access to Justice at Pre-Arrest, Arrest and Remand Stage
(5) Legal Aid Defense Counsel
(6) Engagement of Senior Advocate / Advocates having 10 years of professional experience
(7) Pending Bills of Panel Lawyers

LEGAL LITERACY CAMPAIGN DRIVE THROUGH MOBILE VAN/VIDHIK SEVA RATH:

From 01 April, 2021 to 08th April, 2021, eight (08 Days) campaign drives were conducted in the remotest villages of district Pithoragarh through Mobile Van/Vidhik Seva Rath. During the said period Legal Literacy Camps were organized in 24 villages situated in remote areas of district Pithoragarh, as well as in urban areas of the district. During the legal literacy camps common masses were sensitized by displaying documentary films relating to Mediation Mechanism,Women Empowerment,Lok Adalats and Free Legal Services provided by the Legal Services Institutions in the State of Uttarakhand.

Legal Literacy Camp at Village Balakot, Pithoragarh on 01.04.2021.

Legal Literacy Camp at Village Meldugari, Pithoragarh on 01.04.2021.

Legal Literacy Camp at Village Dhamora, Pithoragarh on 01.04.2021.

Legal Literacy Camp at Village Jhulaghat, Pithoragarh on 02.04.2021.

Legal Literacy Camp at Village Dooni, Pithoragarh on 01.04.2021.

Legal Literacy Camp at Village Muna Kot, Pithoragarh on 01.04.2021.

Legal Literacy Camp at Village Kothara, Pithoragarh on 03.04.2021.

Legal Literacy Camp at Village Kotamanya, Pithoragarh on 05.04.2021.

Mobile van legal literacy camp on 06.05.2021 at remote village of district Pithoragarh.

Legal Awareness through Mobile Van at remote areas of district pithoragarh on 06.04.2021

Legal Literacy Camp at Village Naini Saini, Jajardeval, Pithoragarh on 07.04.2021.

Legal Literacy Camp through Mobile Van conducted at remote area on 07.04.2021

Mobile Van Legal Literacy Camp conducted on 08.04.2021

MULTIPURPOSE LEGAL AWARENESS CAMP AT GOVT. JR. HIGH SCHOOL, BACHHAM, BAGESHWAR:

DLSA **Bageshwar** has organized a Multipurpose Legal Awareness Camp on 04th April, 2021 at Govt. Junior High School, Bachham, Bageshwar. The said camp was inaugurated by the District Judge/Chairman, DLSA Bageshwar. In the Camp,stalls were set up by the different government departments and the common people were get benefitted by this. 20 Farmers have been motivated to fill the form for *Kisan Samman Nidhi.* 154 people were benefited by providing them medicine through medical department . During the camp, Hans Foundation, an NGO conducted medical checkup of the people and distributed them medicines etc. as per their requirement. Total 50 Workers were benefited by filling their forms for registration with Labour Department. 25 persons have been provided Ration Cards. The Participants were also sensitized about Govt. Welfare Schemes run by the Social Welfare Department and Labour Department etc., about Legal Aid Information System (LAIS) and Legal Services Management System (LSMS) developed by the UKSLA and NALSA respectively.

OBSERVATION OF "WORLD HEALTH DAY":

The unparalleled value of good health is celebrated on the occasion of **"World Health Day"** on 07th April of every year. In order to observe the World Health Day, all the DLSAs have been directed to organize awareness programme /Webinar in co-ordination with Health Department.

DEHRADUN

"World Health Day" was celebrated on 07.04.2021 at prince chauk, Jain Dharamshala, Dehradun.

UTTARKASHI

"World Health Day" was celebrated on 07.04.2021 in the District Hospital Uttarkashi in cooperation with Health Department.

CELEBRATION OF "WORLD ENVIRONMENT DAY":

As mentioned in the Plan of Action for the month of June, 2021, 'World Environment Day' was observed throughout the State of Uttarakhand. On that day District Legal Services Authorities of the State have organized Plantation Programmes, Legal Literacy Camps and Webinars.

Brief report about the activities such as Plantation Programmes, Webinars, Legal Literacy Camps organized by the District Legal Services Authorities is as under:

ALMORA

On 5th june 2021,the occasion of **"World Environment Day" ,**Secretary DLSA Almora along with PLVs of the DLSA has conducted plantation programme at 13 places in the district.

BAGESHWAR

On the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021 PLVs enrolled with DLSA Bageshwar has conducted plantation at about 16 places in the district. 01 nukkad natak was displayed by the PLV's on the theme of 'Benefits of Plantation'.

CHAMOLI

PLVs of DLSA Chamoli have conducted 06 Plantation programmes at 06 places of District Chamoli on the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021.

CHAMPAWAT

During the **"World Environment Day"** on 05.06.2021 the Plantation programme was organized at 13 places by the DLSA Champawat and different kinds of plants were planted in the district.

DEHRADUN

PLVs enrolled with DLSA Dehradun have planted different kind of plants within their deputed areas in the district during the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021.A virtual symposium was organised by Dlsa.

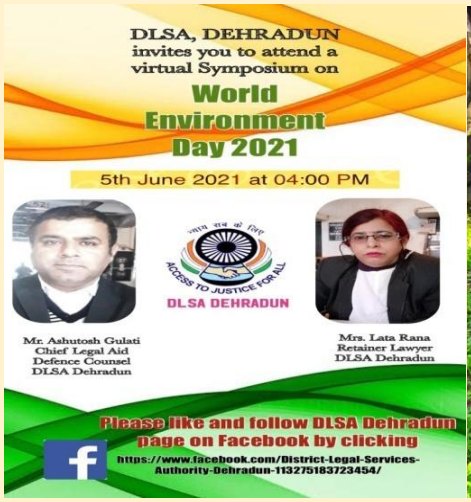

HARIDWAR

Secretary, DLSA and PLVs enrolled with DLSA have carried out plantation activities at 04 places of the district during the 05.06.2021 on the occasion of **"World Environment Day"**.

NAINITAL

DLSA Nainital organized a webinar on the occasion of **"World Environment Day"** and PLVs of the district have conducted plantation during the day on 05.06.2021.

PAURI GARHWAL

TLSC Kotdwar have organized plantation programme within tehsil Kotdwar on the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021. Live Webinar was also conducted by DLSA Pauri Garhwal.

PITHORAGARH

Plantation programme was held by the PLVs enrolled with DLSA Pithoragarh at 04 places of the district on 05.06.2021 during **"World Environment Day"**.

RUDRAPRAYAG

"World Environment Day" was observed on 05.06.2021 and during the day Plantation programme was conducted by the Chairperson and Secretary, DLSA & PLVs at 20 places in district Rudraprayag.

TEHRI GARHWAL

25 Plantation campaign were held throughout district Tehri Garhwal during the day 05.06.2021 on the **"World Environment Day"**. The said programme was organized by the Secretary, DLSA and PLVs of the District.

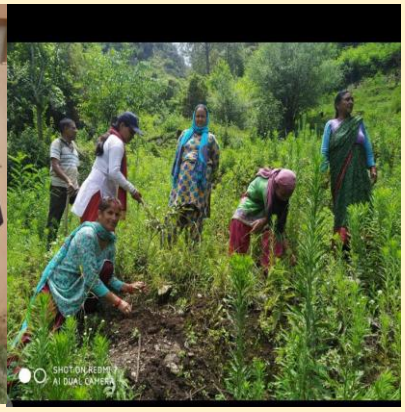

UDHAM SINGH NAGAR

DLSA U.S. Nagar and 65 PLVs of the district have conducted plantation activities and different kind of plants was planted during the said plantation drive on 05.06.2021 on the occasion of **"World Environment Day".**

UTTARKASHI

In order to observe **"World Environment Day"** Secretary,DLSA Uttarkashi and PLVs has planted different kind of plants at about 31 places throughout the District Uttarkashi on 05.06.2021.

OBSERVATION OF "INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING ":

On 26.06.2021, the DLSAs have observed **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"** in the State of Uttarakhand. The said programme was conducted by the DLSAs as per directions of UKSLSA in the Plan of Action for June, 2021. During the day District Legal Services Authorities have organized online Legal Literacy Programmes/Webinars.

DLSA Almora organized a webinar on 26.06.2021 to observe**"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"**

Secretary, DLSA **Bageshwar** organized a webinar to observe **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"** on 26.06.2021

PLVs of DLSA **Champawat** organized Legal Awareness Camp to observe **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"**on 26.06.2021

नशा निरोधक दिवस पर लोगों को किया जागरूक

संवाद सहयोगी, टनकपुर : अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर शनिवार को क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिविजन उदय प्रताप सिंह ने टनकपुर अस्पताल में लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया। उन्होंने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लोगों को जागरूक करने की अपील की।

उन्होंने पीएलवी को नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश दिए। बाद में सिविल जज ने सीएमएस डा. एसएस हर्याकी से अस्पताल में संचालित चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर पीएलवी रैनक अली, गुरुचनी, एएनएम भावना पोखरिया, विपुला मंडल, डा. हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। इधर नगर के वार्ड नंबर तीन में नशा हटाओ, जीवन बचाओ अभियान के संयोजक जीआईसी सिटी में संस्कृत प्रवक्ता सामब्रवा आर्य ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। पीएलवी गीतू, अमित कुमार सहित सभासद रईस अहमद ने नशा त्यागने वाले एवं छुड़वाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र और स्वामी विवेकानंद साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर दीप चन्द्र, सन्तराम, राम सागर, लक्ष्मीकांत, राम खिलवान, धर्मदेव सिंह, सुनील, गौरव कटियार, मुकेश कुमार, नदीम, आमीन, रियाज आदि मौजूद रहे।

टनकपुर में नशे का त्याग करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते सामब्रवा आर्य • जागरण

On 26.06.2021, in order to observe "International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking" a programme was organized by the DLSA **Dehradun** & PLVs in cooperation with other departments & NGOs.

DLSA **Nainital** organized a Webinar on 26.06.2021 to observe "International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking.

Secretary, DLSA **Pithoragarh** conducted a webinar on 26.06.2021 through Google Meet with Judicial Officers, Panel & Retainer Lawyer, PLVs in order to observe "International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"

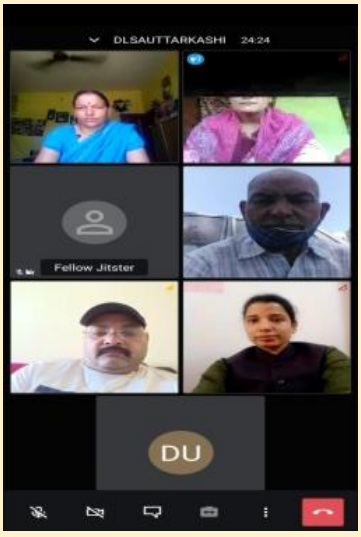

DLSA **Uttarkashi** observed **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"** by organizing webinar on 26.06.2021.

LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS) PORTAL:

As per directions and guidance of Hon'ble the then Chief Justice/Patron-in-Chief, Uttarakhand SLSA, Nainital, a web based application (open source) namely **LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS)** has been developed to access services of legal aid and to monitor the activities being carried out through legal aid easily and efficiently. The said ambitious web application aims to provide free legal aid to the needy people and other concerned stakeholders.

District wise pendency of the cases and other Data in the Online Portal (https://uklegalaidservices.uk.gov.in/) which is available for Panel Lawyers, PLVs and also for every needy/common mass is as under:

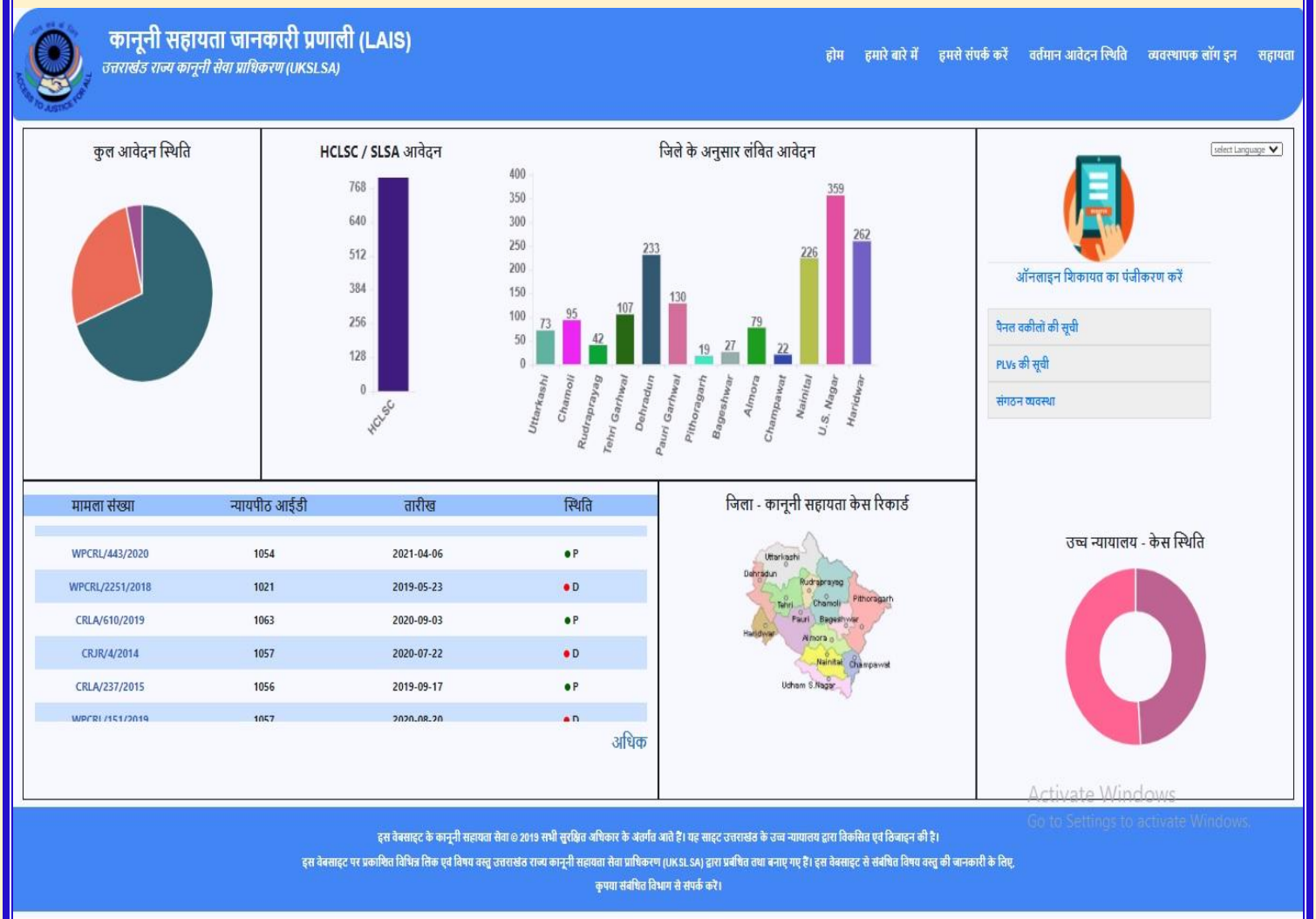

AWARENESS ABOUT PERMANENT LOK ADALAT:

As per directions of Uttarakhand SLSA, Nainital, Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun has conducted meeting and awareness programme on 25.06.2021. The said programme was attended by the Chairman and Members of Permanent Lok Adalat, Chief Managers of Union Bank of India, AXIS Bank of India, Bank of Baroda etc. In the said programme participants were sensitized about the easy & amicable settlement of the cases related to Banking & Financial matters.

स्थाई लोक अदालत में की जा सकती है एक करोड़ रुपये तक के विवादों की अपील

गोल्डन कार्ड से क्लेम न मिला तो स्थाई लोक अदालत आइए

देहरादून | अंकित चौधरी

जनोपयोगी सुविधा में विवाद या गड़बड़ी है तो आप स्थाई लोक अदालत में तेजी से समाधान पा सकते हैं। गोल्डन कार्ड से इलाज या क्लेम नहीं मिलने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले में भी यहां अपील की जा सकती है। इसके लिए कोर्ट फीस या अधिवक्ता का शुल्क भी चुकाना नहीं होगा। यहां समाधान अवधि सिविल कोर्ट के मुकाबले काफी कम है। उत्तराखंड में स्थाई लोक अदालतें चार जिलों में चल रही हैं, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएसनगर हैं।

शुक्रवार को जिला स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष (एडीजे) राजीव कुमार ने आमजन को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, स्थाई लोक अदालत 2019 से चल रही है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। जरूरी सेवा विवाद में लोग सिविल कोर्ट जाते हैं और वहां कोर्ट फीस लगती है। सुनवाई में लंबा समय भी लग सकता है। जबकि, स्थाई लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं लगती और न ही वकील की जरूरत पड़ती है। सुलह-समझौते पर समधान की कोशिश की जाती है। कई बार मामले नहीं निपटते हैं तो तथ्यों पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके फैसलों पर अपील नहीं की जा सकती। ट्रायल समय बहुत कम रखा गया है। औसतन तीन से पांच महीने में वाद का निस्तारण किया जाता है। यहां एक करोड़ रुपये तक के विवादों की सुनवाई का प्रावधान है। पर किसी कोर्ट में अपील न की गई हो।

खामियां दूर हों पेज 12

छात्र को वापस मिली आधी से ज्यादा कोचिंग फीस

एडीजे के अनुसार, कुछ माह एक छात्र के पिता ने कोचिंग संस्थान में दी गई फीस लेकर अपील की। उन्होंने कोचिंग संस्थान को सालभर की 85 हजार रुपये फीस दी। उनका बेटा जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसके लिए 12वीं में 70% अंक जरूरी है। बेटे के इतने अंक नहीं आए थे। संस्थान ने पहले अंक कम आने पर फीस लौटाने की बात कही। बाद में इनकार कर दिया। कोर्ट ने छात्र को 50 हजार रुपये कोचिंग संस्थान से वापस दिलाए। बीते मार्च में 16 वादों का समाधान कर लोगों को 36.66 लाख रुपये प्रतिकर दिलाया गया। हाल ही में ऑनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एडीजे राजीव कुमार। ● हिन्दुस्तान

इस तरह के मामलों का होता है समाधान

- वायु, सड़क, रेल, जलमार्ग सेवा मामले
- डाक-तार या टेलीफोन सेवा मामले
- ऐसे विभाग, जो बिजली-पानी देते हों
- लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली
- अस्पताल या औषधालय की सेवा
- बैंकिंग, फाइनेंशियल एवं बीमा सेवा
- स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थानों से जुड़े मामलों का भी निस्तारण होता है।
- आवास और भू-संपदा सेवा से जुड़े हुए मामलों में भी होती है सुनवाई

स्थायी लोक अदालत में होगा इलाज संबंधी शिकायतों का समाधान

निश्शुल्क लड़ सकते हैं केस, दो से तीन महीने में होता है निर्णय

जागरण संवाददाता, देहरादून : कोरोनाकाल में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सुविधा की सामने आ रही है। सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा दी हुई है, लेकिन कई विसंगतियों के कारण कार्डधारक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल, कई अस्पताल इस योजना के तहत इलाज करने से मना कर रहे हैं तो कई गोल्डन कार्ड होने के बाद भी मरीजों से पैसे मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्थायी लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जहां पर एक साधारण शिकायती पत्र देकर ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।

स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन व अतिरिक्त जिला जज राजीव कुमार ने बताया कि देखने में आ रहा है कि सूचीबद्ध होने के बावजूद अस्पताल गोल्डन कार्ड धारकों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को क्लेम से संबंधित कोई समस्या है तो वह कोर्ट के माध्यम से निश्शुल्क अपना केस लड़ सकता है। दोनों पार्टियों को बुलाकर कोशिश की जाती है कि आपसी सुलह समझौते से केस का निपटारा किया जाए। एक पक्ष सुलह समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अदालत के पास निर्णय लेने का अधिकार है। स्थायी लोक अदालत में दो से तीन महीने में ही निर्णय हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत के निर्णय पर कहीं अपील भी नहीं की जा सकती है। एडीजे ने बताया कि जन उपयोगी सुविधाओं के लिए स्थायी लोक अदालत एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन जनता को अदालत की जानकारी न होने के कारण परेशान होना पड़ता है। एकमात्र स्थायी लोक अदालत ही है, जहां पर एक सादे कागज पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोर्ट में केस पूरी तरह से निश्शुल्क चलता है।

शुक्रवार को कचहरी में पत्रकारों से दार्ता करते स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन एवं अतिरिक्त जिला जज राजीव कुमार ● जागरण

यहां करें शिकायत
pladoon@outlook.com
95570-96913

स्कूल अधिक ले रहा है फीस तो कोर्ट में करें शिकायत

एडीजे ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के कारण स्कूल बंद हैं। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे, इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन कई तरह की फीस वसूलकर अभिभावकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यदि किसी भी अभिभावक से स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस वसूलता है तो इसकी शिकायत भी अदालत में की जा सकती है।

स्थायी लोक अदालत में इन मामलों में होती है सुनवाई

- यातायात सेवा से संबंधित समस्या
- डाक, तार या टेलीफोन सेवा
- सफाई या स्वच्छता प्रणाली
- अस्पताल या औषधालय में सेवा
- बीमा सेवा
- शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान
- आवास और भू संपदा सेवा
- बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सेवा

लोक अदालत : बीमा क्लेम के पंद्रह लाख चुकाने का आदेश

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

स्थाई लोक अदालत ने शुक्रवार को दो मामलों में फैसला सुनाया। एक मामले में इंश्योरेंस कंपनी को 3.87 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है। वहीं अन्य मामले में अदालत ने मौत का क्लेम खारिज करने पर 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

जिला सूचना कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नारायण सिंह ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक खिलाफ वाद दायर किया। कहा कि उनके परिवारी सदस्य स्व. दयाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उनका 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम किया गया। कमियां निकालते हुए इसे कंपनी ने खारज कर दिया। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार और सदस्य मंजू सकलानी ने आदेश दिया कि कंपनी अपीलकर्ता को मुआवजा राशि के रूप में तीस दिन के भीतर 15 लाख रुपये चुकाएगी। रकम पर न्यायालय में वाद दायर की तिथि से छह फीसदी साधारण ब्याज भी देना होगा।

वहीं कृष्णकांत शर्मा ने रिलायंस इंश्योरेंस कम्पनी प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया। कहा कि कंपनी ने उनका कार क्लेम खारिज कर दिया। तबकि, उनके तत्व सही थे। इस पर कंपनी को वादी के इंश्योरेंस की आईडीबी वेल्यू 3.87 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। वहीं पीड़ित को वाहन बीमा कंपनी को सौंपना होगा।

इंश्योरेंस कंपनियों को देना होगा मुआवजा

लोक अदालत

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

स्थाई लोक अदालत ने सुनवाई करते हुए दो मामलों में इंश्योरेंस का भुगतान नहीं करने पर कंपनी को दोषी माना है। लोक अदालत ने दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की धनराशि भुगतान के आदेश दिए हैं।

स्थायी लोक अदालत के फैसले के अनुसार, उमेश ने मई 2017 में पशुधन बीमा के अंतर्गत दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो घोड़ियों का बीमा कराया था।

शिकायतकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक से इसके लिए लोन लिया था। आठ हजार रुपये की धनराशि बीमा कंपनी को दी गई। घोड़ी का बीमा मूल्य एक लाख रुपये था। आठ दिसंबर 2017 को एक घोड़ी की मौत हो गई। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। लोक अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि मुआवजा धनाराशि छह प्रतिशत ब्याज समेत एक लाख रुपये, शारीरिक और मानसिक संवेदना के 10 हजार रुपये और वाद व्यय पांच हजार रुपये, आर्थिक हानि के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने होंगे। एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता प्रेमलता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 जून 2019 को वह कार से दून से हरिद्वार जा रहीं थीं। मोतीचूर फाटक के पास मिनी बस ने कार को टक्कर मार दी। डीडी मोटर्स में क्लेम फार्म भरकर दिया, जिस पर मरम्मत के लिए एक लाख 96 हजार आठ सौ 51 रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया। बीमा कंपनी ने उनका क्लेम 21 नवंबर 2019 को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई कर लोक अदालत ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दोषी मानकर कहा कि कंपनी को छह फीसद ब्याज के साथ एक लाख 65 हजार नौ सौ 20 रुपये, शारीरिक और मानसिक संवेदना के 10 हजार और वाद व्यय 10 हजार रुपये देने होंगे।

सुनवाई

- दो अलग-अलग मामलों में लोक अदालत ने सुनाया फैसला
- कार की मरम्मत और घोड़ी की मौत के मामले में सुनवाई

epaper हिन्दुस्तान

दो शिक्षण संस्थानों को फीस लौटाने के आदेश

लोक अदालत

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

देहरादून कोर्ट परिसर में स्थायी लोक अदालत में शनिवार को कई मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने अविरल क्लासेज के डायरेक्टर को छात्र को बकाया फीस लौटाने और कुकरेजा इंस्टीट्यूट को शिकायतकर्ता को फीस ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार ने शनिवार को लोक अदालत में अजय कुमार की ओर से अविरल क्लासेज के डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज शिकायत पर सुनवाई की। फीस को लेकर चल रहे विवाद में दोनों पक्षों की दलील सुनी गई। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता के बच्चे के कुछ समय की गई पढ़ाई का खर्चा कटौती के पश्चात बकाया फीस की धनराशि 15 हजार लौटाने के आदेश दिए। वहीं, मो. आमिर ने कुकरेजा इंस्टीट्यूट के खिलाफ वाद दायर किया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पाया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात आरोपी पक्ष को पीड़ित द्वारा जमा फीस 1,35,200 रुपये और रजिस्ट्रेशन शुल्क 10.50 प्रतिशत ब्याज की दर से 30 दिन के भीतर चुकाने के आदेश दिए।

एक अन्य मामले में अदालत ने मो. अहमद बनाम मुख्य शाखा प्रबंधक बजाज एलायंज और अन्य के मध्य दर्ज वाद में दोनों पक्षों की दलील सुनी। अदालत ने बीमा कंपनी को मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम की कुल धनराशि 2,95,178 रुपये 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। वहीं, स्थायी लोक अदालत में एक विधवा महिला की ओर से पति की पर्सनल एक्सिडेंट बीमा पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। अदालत ने कंपनी को पॉलिसी के क्लेम के तीन लाख रुपये और बाद पर व्यय धनराशि 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश दिए। बीमा कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता को धनराशि का चेक दिया गया।

सुनवाई

- कोर्ट परिसर में आयोजित स्थायी लोक अदालत में हुई सुनवाई
- बीमा कंपनियों के मामलों का भी अदालत में निस्तारण

SUCCESS STORIES

01

16 वर्षीय बालिका को नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को प्रार्थिनी श्रीमती आशी जेम्स निवासी–वार्ड नं0, गढ़ी कैण्ट, देहरादून द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री द्वारा गलत संगति में पड़ जाने पर परामर्श लिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
- उक्त प्रार्थिनी द्वारा अपने पत्र में यह कथन किया गया कि कुछ नशा बेचने वाले लोगों ने उसकी पुत्री के साथ नशा बेचने हेतु सम्पर्क किया एवं उसे पैसों का भी लालच दिया गया। नशा बेचते–बेचते 02 माह के अन्दर ही वह भी नशें की इतनी आदी हो गयी कि उसे नशा करने के लिये अपने घर के सामान की चोरी भी करने लगी एवं घरवालों से पैसे भी मांगने लगी। घरवालों द्वारा पैसे न दिये जाने से इंकार करने पर वह अपने घरवालों पर चाकू से भी हमला करने लगी।
- वह नशे में इतनी ज्यादा लिप्त हो चुकी है कि घर से सहयोग न होने पर वह नशे के चलते कई–कई दिनों तक घर से बाहर दोस्तों के साथ रहती है एवं अब वह काफी समय से अपने घर नहीं लोटी है जिससें उक्त प्रार्थिनी को बहुत चिंता हो रही है कि वह गलत हाथों में न पड़ गयी हो और उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाये।
- प्रार्थिनी जब थानें में रिपोर्ट लिखवाने गयी तो पुलिसवालों ने कहा कि आपकी पुत्री तो बार–बार घर से गायब होती रहती है। हम बार–बार रिपोर्ट नहीं लिखेंगे।
- प्रार्थिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि कुछ दिन पहले प्रार्थिनी की पुत्री के कुछ दोस्तों के साथ कहा–सुनी भी हो गयी थी जिस पर उनकी पुत्री के दोस्तों ने उक्त प्रार्थिनी को धमकी दी थी कि वह अब उनकी पुत्री को हमेशा के लिये गायब कर देंगे जिस पर प्रार्थिनी बहुत घबरा गयी है। अतः प्रार्थिनी यह चाहती है कि वह अपनी पुत्री को नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती कराये।
- तत्पश्चात् किसी व्यक्ति ने प्रार्थिनी को नशे की रोकथाम करने वाली संस्थाओं के बाबत् जानकारी दी गयी।
- तत्पश्चात् प्रार्थिनी ने मैक संस्था, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण से सम्पर्क किया।
- उक्त पराविधिक कार्यकर्तागण द्वारा इस मामलें को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के संज्ञान में लाया गया।
- तत्पश्चात् इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण की टीम का गठन कर उक्त महिला की पुत्री को रेस्क्यू कर नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- तत्पश्चात् पराविधिक कार्यकर्तागण की टीम द्वारा उक्त प्रार्थिनी की पुत्री को ढूंडकर रेस्क्यू किया गया एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के सहयोग से नशामुक्ति केन्द्र, देहरादून में भर्ती करवाया गया।

02

03 बच्चे जिनको पहले भी रेस्क्यू किया गया था, को दुबारा नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पराविधिक कार्यकर्तागण के सहयोग से "**संकल्प नशमुक्ति देवभूमि**" के तहत कबाड़ बीनने वाले तीन बच्चे जोकि नशे में लिप्त थे को पहले भी नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया था।
- परन्तु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना मिली कि उक्त 03 बच्चे जिनको पहले भी रेस्क्यू किया गया था एवं उनके परिवारजनों द्वारा यह कथन किया गया था उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जायेगा परन्तु सही पुर्नवास एवं सहयोग न मिल पाने के कारण उनके परिवारजनों द्वारा उनकी पढ़ायी रोक कर उनको फिर से कबाड़ बीनने के लिये लगा दिया गया। तत्पश्चात् वह बच्चे फिर से कबाड़ बेचकर नशा करने लगे।
- नशे की हालत में यह बच्चे सड़क किनारे नालियों एवं नगर क्षेत्र के विभिन्न खण्डरों में रहने लगे।
- उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पुनः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण की टीम का गठन किया गया।
- उक्त गठित टीम द्वारा सी0ओ0सिटी0, देहरादून के नेतृत्व में उक्त बच्चों को पुनः रेस्क्यू किया गया एवं बच्चों का जी0डी0 डालनवाला थानें में किया गया इसके बाद कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून में उन बच्चों की प्रारम्भिक चिकित्सा व कोरोना टेस्ट करवाया गया। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद समाज कल्याण विभाग व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उन तीनों बच्चों को दुबारा रेस्क्यू कर आसरा नशामुक्ति केन्द, देहरादून में पुर्नवास के लिये भर्ती करा दिया गया।

फोटोग्राफ

कबाड़ चुगने वाले नशे में संलिप्त बच्चों को किया रेस्क्यू

■ पहले भी रेस्क्यू किया था, नहीं मिला पुनर्वास

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। दून नगर क्षेत्र में जिला समाज कल्याण देहरादून व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कबाड़ चुगने वाले नशे में सँलिप्त बच्चों को रेस्क्यू किया गया।

इन बच्चों को पहले भी रेस्क्यू किया गया था, मगर सही पुनर्वास न मिलने के कारण इन बच्चों की स्थिति पहले जैसी होने के कारण दुबारा रेस्क्यू किया गया है। पूरे उत्तराखण्ड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे है व नशे में सँलिप्त बच्चे पर कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। नशे की हालत में यह बच्चे सड़क किनारे, नालियों, नगर श्रेत्र के विभिन्न खंडहरों में रहते है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गठित टीम की ओर से सीओ सिटी शेखर सुयाल के नेतृत्व में रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए तीन बच्चे में से दो 11 व एक 14 वर्ष का है। रेस्क्यू किए गए बच्चों का जीडी डालनवाला थाने किया गया उसके बाद कोरोनेशन अस्पताल में प्रारंभिक चिकित्सा व कोरोना टेस्ट कराया गया,कोविड रिपोर्ट नेगिटिव आने के बाद आसरा नशा मुक्ति केंद्र प्रेमनगर में पुनर्वास के लिए भेजा गया। रेस्क्यू टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समीना, समर्पण संस्था से मानसी मिश्रा, आपका आसरा नशा मुक्ति केंद्र से कृतिका क्षेत्री, मैक संस्था से जहांगीर आलम व प्रमोद बेलवाल आदि उपस्थित रहे।

कबाड़ बीनने वाले तीन बच्चों को कराया मुक्त

नशे की गिरफ्त में आ गए थे कबाड़ बीनने वाले मासूम

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (22 April): जिला समाज कल्याण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कबाड़ बीनने वाले नशे में सँलिप्त तीन बच्चों को रेस्क्यू किया.

परेड ग्राउंड क्षेत्र बीनते थे कूड़ा

सीओ सिटी शेखर सुआल ने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बच्चों को पहले भी रेस्क्यू किया गया था. उस समय स्वजनों ने लिखित में दिया था कि वह बच्चों को अब पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा बच्चों को कबाड़ बीनने में लगा दिया.

सूचना दी कि तीन बच्चे परेड ग्राउंड क्षेत्र में कूड़ा बीनते हैं. तुरंत एक टीम को भेजकर बच्चों को रेस्क्यू किया गया. सीओ सिटी ने बताया कि बच्चों का कोरोनेशन अस्पताल में प्रारंभिक चिकित्सा व कोरोना टेस्ट करवाया गया. जिसमें उनका कोविड निगेटिव आया. इसके बाद बच्चों को आपका आसरा नशा मुक्ति केंद्र प्रेमनगर में भेज दिया गया.

इन्होंने किया योगदान

रेस्क्यू टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समीना, समर्पण संस्था से मानसी मिश्रा, आपका आसरा नशा मुक्ति केंद्र से कृतिका क्षेत्री, मैक संस्था से जहांगीर आलम व प्रमोद बेलवाल आदि शामिल रहे.

03

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा लड़की की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग से रू0 50,000/– दिलाकर सहायता की गयी

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को दूरभाष पर कल्पेश्वरी देवी, निवासी–एम0डी0डी0ए0,रोड, गोरखपुर, देहरादून नामक एक गरीब महिला द्वारा अपनी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता के सम्बंध में मदद मांगी गयी।
- उक्त महिला द्वारा कथन किया गया कि वह एक गरीब महिला है एवं उसके पति का देहान्त हो चुका है। उसकी पुत्री की शादी भी तय हो चुकी है परन्तु पति की मृत्यु हो जाने के कारण उसे काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उसे यह भी डर है कि आर्थिक तंगी होने के कारण उसकी पुत्री की शादी न टूट जाये।
- उक्त मामलें को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पराविधिक कार्यकर्तागण को उस महिला की हर प्रकार से सहायता किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- तत्पश्चात् पराविधिक कार्यकर्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उक्त महिला का आय प्रमाण–पत्र बनवाया गया। उसके पश्चात् आवेदन सम्बंधित समस्त प्रक्रिया पूर्ण करवा के समाज कल्याण विभाग में जमा किये गये।
- सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर समाज कल्याण विभाग से जानकारी ली गयी।
- अंत में दिनांक 12.04.2021 को प्राधिकरण द्वारा उक्त महिला को उनकी पुत्री की शादी के लिये समाज कल्याण विभाग से रू0 50,000/– की आर्थिक सहायता दी गयी जिस पर उक्त महिला द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को आभार व्यक्त किया गया।

04

महिला द्वारा नौकरी हेतु दिये गये पैसे वापस दिलवाया गया

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को प्रार्थीगण श्री संदीप सिंह एवं श्री वीर नौटियाल द्वारा अपनी समस्या के निवारण के सम्बंध में पत्र प्रेषित किया गया।
- उक्त प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि वह प्राईवेट कम्पनियों में कार्य करते है। उनकी पूजा रावत नामक महिला द्वारा उस महिला की चिकित्सीय विभाग में नौकरी लगाये जाने हेतु सम्पर्क किया गया।
- प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि उन्होनें साफ–साफ मना कर दिया था कि उनकी किसी से नौकरी लगवाये जाने हेतु जान–पहचान नहीं है एवं न ही वह नौकरी लगाने का कार्य करते हैं।
- परन्तु कुछ समय पश्चात् पूजा रावत नामक महिला ने एक प्रार्थीगण से नौकरी लगवाये जाने हेतु दबाव डालने लगी एवं पूजा रावत महिला ने प्रार्थीगण के अन्य दोस्त विकास चन्द्रा नामक व्यक्ति से नौकरी लगवाये जाने हेतु सम्पर्क किया गया।
- प्रार्थीगण के अन्य दोस्त विराज चन्द्रा ने उक्त महिला से नौकरी लगवाये जाने हेतु रू0 4 लाख की मांग की एवं यह कहा कि वह उस महिला की नौकरी एम्स अस्पताल, ऋषिकेश में लगवा देगा। उक्त महिला ने रू0 4 लाख प्रार्थीगण वीर नौटियाल के एकाउण्ट में जमा कर दिये।
- परन्तु कुछ समय पश्चात् कोरोना महामारी के चलते काम न हो पाने के कारण प्रार्थीगणों ने उक्त महिला को कुछ पैसे दे वापस कर दिये। परन्तु कुछ पैसे शेष थें।
- महिला द्वारा शेष पैसे वापस दिये जाने हेतु जब प्रार्थीगणों से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उनके द्वारा विकास चन्द्रा जिसके पास बाकी शेष रूपया है को पैसे वापस करने हेतु कहा गया तो उस व्यक्ति द्वारा शेष पैसे वापस करने से मुकर गया।
- तत्पश्चात् पूजा रावत महिला ने कोतवाली, देहरादून में प्रार्थीगणों के खिलाफ शेष रूपये दिये जाने के सम्बंध में एक शिकायत दर्ज की।
- अंत में प्रार्थीगणों द्वारा परेशान होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को उक्त महिला के साथ काउंसलिंग किये जाने एवं समस्या के निवारण हेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया।
- उक्त मामलें को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की टीम का गठन कर उक्त सभी व्यक्तियों के साथ काउंसलिंग किये जाने हेतु आदेशित किया ।
- जिस पर टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य काउंसलिंग कर एक समझौतानामा तैयार किया गया जिसमें तीनों पक्षों द्वारा समझौतानामें पर दस्तखत किये गये, जो कि निम्न प्रकार हैः–

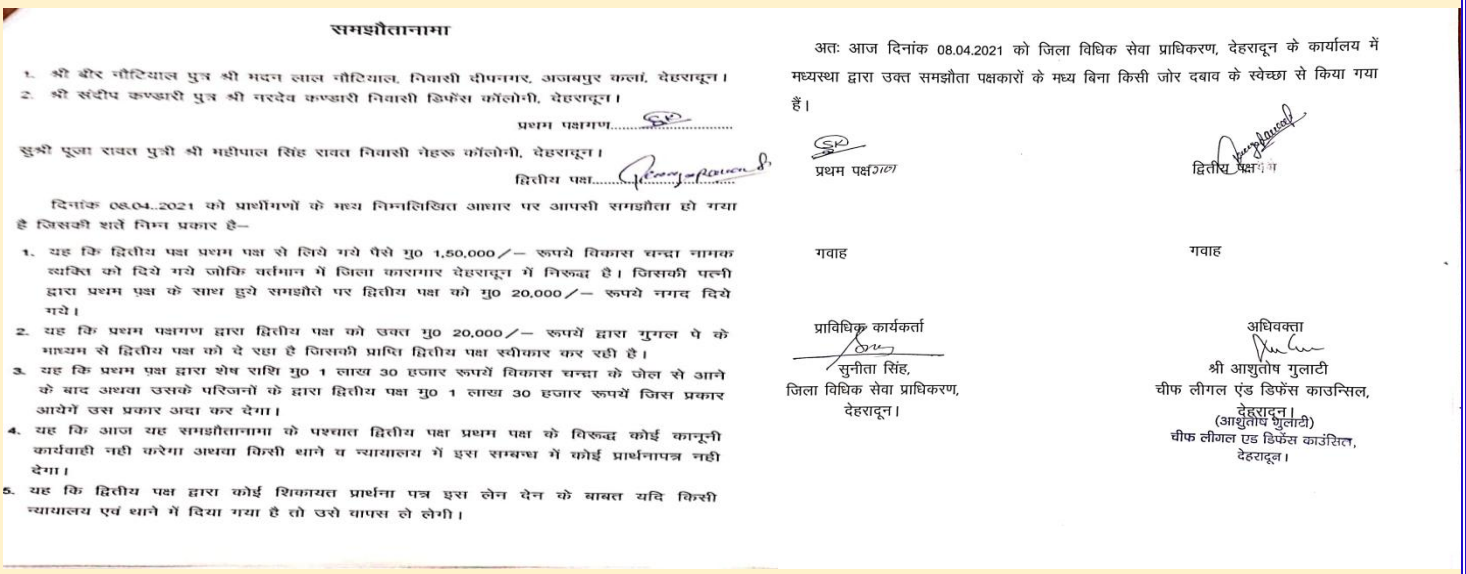

समझौतानामा

1. श्री वीर नौटियाल पुत्र श्री मदन लाल नौटियाल, निवासी दीपनगर, अजबपुर कलां, देहरादून।
2. श्री संदीप कण्डारी पुत्र श्री नरदेव कण्डारी निवासी डिफेंस कॉलोनी, देहरादून।

प्रथम पक्षगण.....

सुश्री पूजा रावत पुत्री श्री महीपाल सिंह रावत निवासी नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

द्वितीय पक्ष.....

दिनांक 08.04.2021 को प्रार्थीगणों के मध्य निम्नलिखित आधार पर आपसी समझौता हो गया है जिसकी शर्तें निम्न प्रकार है–

1. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से लिये गये पैसे रू0 1,50,000/– रूपये विकास चन्द्रा नामक व्यक्ति को दिये गये जोकि वर्तमान में जिला कारागार देहरादून में निरूद्ध है। जिसकी पत्नी द्वारा प्रथम पक्ष के साथ हुये समझौते पर द्वितीय पक्ष को रू0 20,000/– रूपये नगद दिये गये।
2. यह कि प्रथम पक्षगण द्वारा द्वितीय पक्ष को उक्त रू0 20,000/– रूपयें द्वारा गुगल पे के माध्यम से द्वितीय पक्ष को दे रहा है जिसकी प्राप्ति द्वितीय पक्ष स्वीकार कर रही है।
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा शेष राशि रू0 1 लाख 30 हजार रूपयें विकास चन्द्रा के जेल से आने के बाद अथवा उसके परिजनों के द्वारा द्वितीय पक्ष रू0 1 लाख 30 हजार रूपयें जिस प्रकार आयेगें उस प्रकार अदा कर देगा।
4. यह कि आज यह समझौतानामा के पश्चात द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नही करेगा अथवा किसी थाने व न्यायालय में इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थनापत्र नही देगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कोई शिकायत प्रार्थना पत्र इस लेन देन के बाबत यदि किसी न्यायालय एवं थाने में दिया गया है तो उसे वापस ले लेगी।

अतः आज दिनांक 08.04.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में मध्यस्था द्वारा उक्त समझौता पक्षकारों के मध्य बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से किया गया हैं।

प्रथम पक्षगण

द्वितीय पक्षगण

गवाह

गवाह

प्राविधिक कार्यकर्ता
सुनीता सिंह,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
देहरादून।

अधिवक्ता
श्री आशुतोष गुलाटी
चीफ लीगल एंड डिफेंस काउन्सिल,
देहरादून।
(आशुतोष गुलाटी)
चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल,
देहरादून।

PHOTO GALLERY AND NEWS ITEMS OF THE ACTIVITIES ORGANIZED BY THE LEGAL SERVICES INSTITUTIONS IN THE STATE OF UTTARAKHAND

ALMORA

Visit of observation Home by Secretary, DLSA Almora on 01.06.2021.

PLV of DLSA, Almora distributing the ration kits to the public on 25.05.2021.

Visit of Rehabilitation Center Hawalbagh, Almora by the Secretary, DLSA Almora on 23.05.2021

Secretary, DLSA, Almora visiting the Observation Home

Visit of Labour Department by the Secretary DLSA on 01.06.2021.

Secretary, DLSA Almora visited District Hospital & COVID Care Center at Almora

Visit of Vaccination Center by the Secretary, DLSA Almora on 15.05.2021

PLVs of DLSA Almora awared the people on 26.06.2021 at remote villages about ill effects of Drug Abuse and Drug Menace and about National Lok Adalat to be held on 10.07.2021.

PLV of DLSA, Almora awared the public regarding COVID-19 on 25.05.2021.

PLV of DLSA, Almora sanitized the villages on 27.05.2021

BAGESHWAR

On 21.06.2021 Front Office/Legal Aid Clinic was visited by the Secretary, DLSA Bageshwar.

On 24.06.2021 a Pre-meeting was organzied through virtual mode with the stakeholders, to make success National Lok Adalat to be held on 10.07.2021.

Secretary, DLSA Bageshwar conducted inspection on 29.06.2021 to the Legal Aid Clinic Nagar, Palika Bageshwar.

Secretary, DLSA Bageshwar organzied a webinar on 15.06.2021 to interact and ware the Under Trial Prisoners.

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मैनीताल के निर्देशानुसार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर
के तत्वाधान में
दिनांक 10 जुलाई 2021 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक

राष्ट्रीय लोक अदालत

का आयोजन किया जा रहा है।

जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा, जैसे-

- फौजदारी के शमनीय मामलें,
- धारा 138 एन0आई0एक्ट सम्बन्धित मामलें,
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित मामलें,
- वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामलें,
- श्रम सम्बन्धित मामलें,
- भूमि अर्जन के मामलें,
- दीवानी वाद,
- राजस्व सम्बन्धित वाद,
- विद्युत एवं जलकर बिलों के मामलें,
- वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलें,
- धन वसूली से सम्बन्धित मामलें,
- अन्य ऐसे मामलें जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, का निस्तारण किया जायेगा।

अतः सर्वसाधारण से आग्रह है, कि, जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है वह दिनांक: 05 जुलाई, 2021 तक किसी भी कार्यदिवस में संबन्धित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर, अपने मामले को नियत करवा सकते है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–
कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बागेश्वर
टेलीफोन नम्बर:–05963–221844 ई0मेलः–dlsabgr1@gmail.com

अर्धविधिक कार्यकर्ता मुन्नी रावत द्वारा ग्रामसभा–पिण्लों में लोगों को दवाईयां वितरित की गयी तथा मास्क और सेनेटाईजर के बारे में जानकारी दी गयी।

पी एल वी बलवंत सिंह न्याय पंचायत माजखेत द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र भनार में आये जरूरत मन्द लोगों को स्वयं मास्क बनाकर वितरण किया एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने की बात कहने के साथ लगातार मास्क लगाने तथा साफ सफाई की जानकारी दी।

अर्धविधिक कार्यकर्ता श्रीमती मुन्नी रावत द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों को पीपीई किट वितरित किया गया।

पी एल वी सरस्वती भट्ट न्याय पंचायत असों द्वारादिनांक 28 मई 2021 को ग्राम बटालगांव में 35 लोगों का कोविड 19 का टेस्ट करवाया गया जिसमें लोगों को समझाने पर टेस्ट के लिए राजी करवाया गया और साथ ही दवा भी दी गई।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ललिता भाकुनी, न्याय पंचायत बनलेख द्वारा दिनांक 25 मई, 2021 को ग्राम पंचायत पड़ाई में होम आइसोलेशन पॉजिटिव लोगों को दवा किट बांटी गई तथा जरूरतमंद लोगों को दवाईया भी दी गयी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती गीता तिवाड़ी न्याय पंचायत गड़सेर द्वारा अपने क्षेत्र में जरूरतमंद महिलाओं को दवाईया, आक्सीमीटर, मास्क और सेनेटाईजर दिया गया।

CHAMOLI

PLVs of DLSA Chamoli helped the common mass in registration and vaccination under COVID-19.

In cooperation with district administration distributed ration kit on 22.05.2021 to the villagers in remote areas of the district.

PLVs help the people in Registration & Vaccination on 18.05.2021 at Vaccination center of a Village.

PLVs help Medical Department in registration and medical check-up under COOVID-19 during 01st week of June, 2021

CHAMPAWAT

PLV of DLSA, Champawat distributing making aware the public regarding COVID-19

PLV of DLSA, Champawat distributing the medical kits to the public.

As per direction of DLSA Champawat PLVs have distributed Mask and Sanitizer and Immunity Medicine, also aware about National Lok Adalat on 10.07.2021

PLV of DLSA Champawat distributing masks to the public

PLVs help common mass in registration and vaccination at remote village on 28.06.2021.

PLV of DLSA, Champawat making aware the public regarding COVID-19 Pandemic.

PLVs distributed Homeopathy Immunity Medicine on 28.06.2021 to the people living in remote areas of the district.

नशे के कानूनी पहलुओं से कराया अवगत

टनकपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन चंपावत उदय प्रताप सिंह ने संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध सप्ताह पर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी व इसके लीगल पहलुओं पर प्रकाश डाला। कोरोना काल में लीगल क्लीनिक द्वारा किये गए कार्यों को सराहा। उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सकों से पोस्ट कोविड प्रभाव व तीसरी संभावित लहर की तैयारियों के बाबत जानकारी ली। इस अवसर पर पीएलवी रौनक अली, क्लीनिक प्रभारी पीएलवी अजय गुरूरानी, सीएमएस डॉ एचएस हयांकी, एएनएम भावना पोखरिया, विपला मंडल, डॉ. हेमंत शर्मा आदि चिकित्सालय कर्मी मौजूद थे।

DEHRADUN

Vaccination Center established with the help of DLSA Dehradun at District Court Campus, Dehradun.

PLVs of DLSA Dehradun have distributed Mask and Sanitizer in slum areas of the district.

PLV of DLSA, Dehradun distributing the ration kits in the slum area.

PLV of DLSA, Dehradun distributing the essential items to the public.

PLV distributed ration kit on 30.05.2021 to the needy people living road side in district Dehradun

किशोरी को नशामुक्ति केंद्र में करवाया भर्ती

देहरादून: नशे की लत में डूबी एक किशोरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सामाजिक संस्थाओं ने उसके घर से रेस्क्यू कर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया है। मदर्स एंजल चिल्ड्रन सोसायटी (मैक) के सदस्य जहांगीर आलम ने बताया कि गढ़ी कैंट क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत की थी कि उनकी 16 साल की बेटी स्मैक के नशे की लत में पड़ गई है। बीते आठ जून से वह लापता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बाल आयोग के आदेश पर कैंट पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। शनिवार रात को किशोरी खुद ही घर पहुंच गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के सदस्यों के सहयोग से बच्ची को रेस्क्यू कर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया। (जासं)

कोरोना टीकाकरण और कानून की जानकारी दी

देहरादून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चकराता के दूरस्थ क्षेत्र ग्रामसभा सावरा एवं मुजाऊ में शिविर का आयोजन किया। शिविर में लोगों को टीकाकरण के लिए आरोग्य सेतु एंव कोविन एप पर पंजीकरण के लिए जागरूक किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने बताया कि इस दौरान मास्क लगाना, सामाजिक दूरी, बिना काम के बाहर न निकलने आदि की जानकारी दी गई। साथ ही शिविर में लोगों को महिला सुरक्षा बाल सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, यौन अपराध, यौन छोड़खानी जैसे अपराधों के कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। मा.वि.वि.

21 जून 2021

नशे की लत से डगमगा रहे युवतियों के भी कदम

■ स्मैक के नशे में घर से गई नाबालिग को किया रेस्क्यू

■ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। राजधानी के युवा ही नहीं नाबालिग लड़कियां भी नशे की चपेड़ में आ रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा व जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पाण्डे की देख-रेख में रेस्क्यू अभियान चला कर ऐसी बालिकाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। रविवार को मदर्स एंजल चिल्ड्रन सोसाइटी (मैक संस्था) और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन (डब्लयू सी डी) संस्था ने 16 वर्ष की नाबालिग बच्ची जो नशे की लत में घर छोड़कर चली गयी थी, उसे पुलिस, डीएलएसए व समाज कल्याण विभाग की मदद से रेस्क्यू कर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया, जिससे बालिका को नशे की लत से बाहर निकाला जा सके।

संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नाबालिग बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्मैक का नशा करती है, और कई दिनों तक घर नहीं आयी, बालिका की मां ने बताया कि उनकी बेटी 8 जून 2021 से लापता है। बालिका की माता ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी के कुछ दोस्तों के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बालिका के दोस्तों ने बोला कि वह अब उसे हमेशा के लिए गायब कर देंगे। जिसके कुछ दिन के बाद से ही उनकी बेटी गायब हो गई। बालिका की माता ने इस मामले की सूचना गढ़ी कैंट कोतवाली में भी दी थी लेकिन कुछ कार्यवाही न होने के कारण संस्थाओं से सम्पर्क किया। संस्था ने बाल आयोग को पत्र लिखने के बाद बाल आयोग की पहल पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस की छान के बाद बालिका घर आ गयी। उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा व जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पाण्डे के सहयोग से मदर्स एंजल चिल्ड्रन सोसाइटी (मैक संस्था) और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के सदस्यों ने बच्ची को रेस्क्यू कर बालिका को निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। इस रेस्क्यू अभियान में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन से मानसी मिश्रा, मदर्स एंजल चिल्ड्रन सोसाइटी (मैक संस्था) से जहांगीर आलम, प्रमोद बेलवाल, आप का आसरा से कृतिका, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समीना सिद्धिकी आदि ने सहयोग दिया। डब्लयू सी डी व मैक संस्था इससे पहले भी कई नाबालिग बालिकाओं को रेस्क्यू कर निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा चुकी है।

सुद्धोवाला जेल से पैरोल पर रिहा हुए 105 विचाराधीन व 5 दोषसिद बंदी

देहरादून, 30 मई (स.ह.) : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 148 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर और 15 सिद्धदोष बन्दियों को पैरोल पर रिहा किया जाना है। जिनमें से रविवार को जिला कारागार देहरादून से 163 कैदियों में से 105 विचाराधीन बंदियों को 90 दिन की अंतरिम जमानत पर और 5 सिद्धदोष बन्दियों को 90 दिन के पैरोल पर मेडिकल परीक्षण के बाद रिहा कर दिया गया है।

सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नेहा कुशवाहा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के चलते सभी राज्य में उच्च स्तरीय समिति गठित करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट नैनीताल और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। जिसमें कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को अध्यक्ष, प्रमुख सचिव और महानिदेशक जिला कारागार को सदस्य नामित किया गया। बताया कि जो कैदी बीमार है। जिनके ऊपर एक से ज्यादा मुकदमें है। एनडीपीएस के मुकदमों में विचाराधीन है। जो विचारधीन बंदी 75 प्रतिशत सजा काट चुके हैं। जिनका व्यवहार उत्तम है उनको छोड़ने का निर्णय समिति की अग्रिम बैठक में लिया जाएगा। बताया कि साल 2020 में जिला कारागार देहरादून से 104 विचाराधीन बंदियों को अन्तरिम जमानत और 23 सिद्धदोष बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। जिला कारागार में निरुद्ध 07 साल से कम की सजा वाले बंदियों की सूची और जिला कारागार देहरादून के जरिए की गई कार्यवाही का विवरण मांगा गया था।

पंजाब केसरी।।

II | उत्तराखंड

उत्तराखंड शनिवार 22 मई 2021 2

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने चकराता के गांव गांव में पहुंच कर किया दौरा - नेहा कुशवाहा

सह संपादक अकील खान

देहरादून – आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर दूर दराज क्षेत्र चकराता के ट्रिबल एरिया के 02 गांव ग्राम सभा सावरा एवं ग्राम सभा सुझाउ टेह पोस्ट ऑफिस सुझाव चकराता में एक दिनांक 20 05 2021 को शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को कोविड–19 महामारी के दूसरे चरण के चलते आरोग्य सेतु ऐप एंव कोविन ऐप पर वैक्सिंग लगाए जाने हेतु रजिस्टर्ड कराया जाने हेतु जागरूक किया गया ताकि वह कोविड–19 महामारी से बचाव कर सकें इसके अतिरिक्त कोविड–19 महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस जैसे मुंह पर मास्क लगाना समझ दूरी का पालन करना एवं जरूरत पड़ने पर ही घर से इसके अतिरिक्त कोविड–19 महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जैसे मुंह पर मास्क लगाना सामाजिक दूरी का पालन करना एवं यह भी बताया गया कि यदि उनके पेंशन राशन कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि यदि उन्हें इस प्रकार की समस्या आती है तो वह प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं और अनेक जानकारियां दी

उत्तराखंड शनिवार 29 मई 2021 2

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीम द्वारा किया गया एक गरीब मजदूर का ऑपरेशन - सुनीता सिंह

अब फोन और वीडियो कॉल पर विधिक काउंसिलिंग

कानूनी सलाह चाहिए तो यहां करें फोन

HARIDWAR

PLV of DLSA, Haridwar helping the public at the Vaccination Center on 24.05.2021.

NAINITAL

Visit of Women Rehabilitation Center Haldwani on 16.06.2021 by the Secretary, DLSA Nainital

Secretary, DLSA Nainital visited SOS J.N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, Bhimtal, Nainital, Uttarakhand and aware the children of School about importance of Education.

Visit of Sub-Jail Haldwani by the Secretary, DLSA Nainital on 16.06.2021

सचिव खान ने किया एसओएस विलेज भीमताल का निरीक्षण

न्यूज प्रिन्ट संवाददाता

भीमताल/नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्री राजेन्द्र जोशी के निर्देशानुसार सिविल जज सीडि /सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल इमरान मौ० खान द्वारा शुक्रवार को एस ओ एस विलेज भीमताल का निरीक्षण किया गया। एस ओ एस विलेज भीमताल के छात्रावास में रह कर अनाथ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते है। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा एस ओ एस विलेज भीमताल में बच्चों से मुलाकात की गयी, सिविल जज द्वारा बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता एवं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियो को अनुशासन, दृढ़ इच्छा संकल्प, आत्म विश्वास के साथ ही कठिन परिश्रमी होना चाहिए। श्री खान ने बच्चों को पोक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी भी दी गयी। सिविल जज श्री खान द्वारा पूछने पर बच्चों द्वारा खानपान, रहन-सहन आदि से सम्बन्धित कोई समस्या नही बतायी गयी। निरीक्षण के दौरन एस ओ एस विलेज भीमताल के प्रबन्धक आशुतोष होता ने मास्क व सेनिटाईजर उपलब्ध कराने तथा स्टाफवैक्सीनेशन कराने के लिए कहा गया। जिसके सम्बन्ध में सिविल जज द्वारा पत्र प्रेषित करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरन एस ओ एस विलेज साफ-सुथरा पाया गया।

बंदियों को कानूनी सलाह

शाह टाइम्स संवाददाता

नैनीताल। सरोवर नगरी में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल राजेन्द्र जोशी के निर्देशानुसार सिविल जज (सी.डि.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इमरान मौ. खान द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जेल में कोई 18 वर्ष से कम उम्र का कैदी तो नही है तथा कोई ऐसा कैदी तो नही है जिसके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता न हो। जिला कारागार नैनीताल में विचाराधीन बन्दियों की संख्या 141 एवं दोष सिद्ध बन्दियों की संख्या 10 है। उपरोक्त सभी बन्दियो से बात-चीत की गयी तथा बन्दियों को बताया गया कि यदि उनके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला कारागार नैनीताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जागरूकता शिविर के माध्यम से सिविल जज द्वारा बन्दियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी। सिविल जज द्वारा नशे के दुष्परिणों के बारे में भी कैदियों को जागरूक किया गया।

सिविल जज ने कोविड सेंटरों की व्यवस्था देखी

निर्देश

- मरीजों को मिल रही सुविधाओं की ली जानकारी
- कहा, कोविड केयर सेंटरों में मरीजों को मिले सभी सुविधाएं

कोविड सेंटर का निरीक्षण करते सिविल जज इमरान खान व अन्य • अमृत विचार

अमृत विचार, हल्द्वानी/नैनीताल

हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित निगरानी समिति के सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिविल जज (सीडि) इमरान खान व बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नीरज साह ने सोमवार को मल्लीताल स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर में 11 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती मिले। निगरानी समिति के सदस्यों ने भर्ती मरीजो से राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं दवाएं, खान-पान, इलाज व मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस पर मरीजो ने किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं होने की बात कही। निरीक्षण के दौरान कोविड केयर सेंटर में साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन का पर्याप्त इंतजाम पाए गए। उन्होंने सेंटर प्रशासन को मरीजो के इलाज में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट मो. फुजैल अंसारी आदि मौजूद थे।

PAURI GARHWAL

Secretary, DLSA Pauri Garhwal has inspected online Radha Devi Old Age Home Pauri on 03.06.2021.

DLSA Pauri Garhwal organized online meeting with PLV and Pane Lawyers on 02.04.2021.

On 04.06.2021 Secretary, DLSA Pauri Garhwal has conducted inspection of District Hospital Pauri where COVID-19 patients being vaccinated.

PLVs Help common mass in Vaccination Center, Satpuli, Pauri Garhwal on 20.06.2021.

PITHORAGARH

DLSA Secretary, conducted an inspection of District Hospital Pithoragarh (Dedicate Covid Care Center) on 23.05.2021.

Visit of Observation Home by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 15.05.2021.

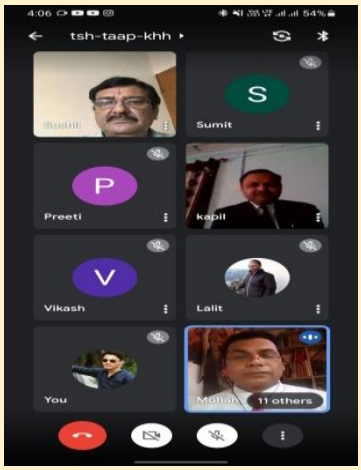

Online webinar was organized on 14.06.2021 with GIC, Myelekh under the implementation of 'Sankalp Nasha Mukt Devbhoomi.'

Visit/Inspection of Village Legal Care & Support Center conducted by the Secretary DLSA Pithoragarh on 23.06.2021.

Webinar on 20.06.2021 about Role of Legal Services Institutions to provide free and Competent Legal Services to the needy persons.

DLSA Pithoragarh organized a webinar under 'Nasha Mukt Devbhoomi' on 24.06.2021 at GIC, Badalu, Pithoragarh.

Inspection of Front Office by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 22.06.2021

On 11.06.2021 PLVs distriubted Sanitizer and Mask was amongst the people.

RUDRAPRAYAG

PLV of DLSA, Rudrapayag distributing the essential items to the public in need.

Online Monthly Meeting of PLVs and Panel Lawyers was held on 03.06.2021, Plan of Action of June & COVID-19 concerns was disucssed.

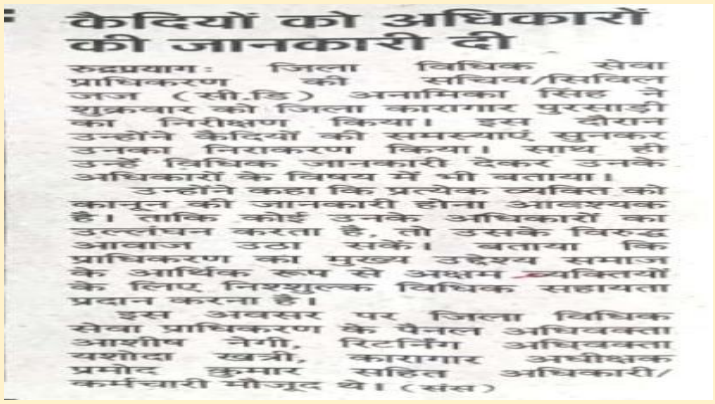

कैदियों को अधिकारों की जानकारी दी

रुद्रप्रयाग : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज (सी.डि.) अनामिका सिंह ने शुक्रवार को जिला कारागार पुरसाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया। साथ ही उन्हें विधिक जानकारी देकर उनके अधिकारों के विषय में भी बताया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना आवश्यक है। ताकि कोई उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकें। बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता आशीष नेगी, रिटेनिंग अधिवक्ता यशोदा खत्री, कारागार अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे। (संस)

PLVs helped Medical Department on 15.06.2021 in Registration & Vaccination during COVID-19 Pandemic.

TEHRI GARHWAL

PLVs of DLSA Tehri Garhwal helped the District Administration for supply of Oxygen Cylendar to the Hospitals on 16.05.2021

PLV of DLSA Tehri Garhwal distributed Ration Kit on 16.05.2021 to the need people in cooperation with District Administration.

Secretary, DLSA Tehri Garhwal inform the common and media through APR News Uttarakhand on 18.06.2021

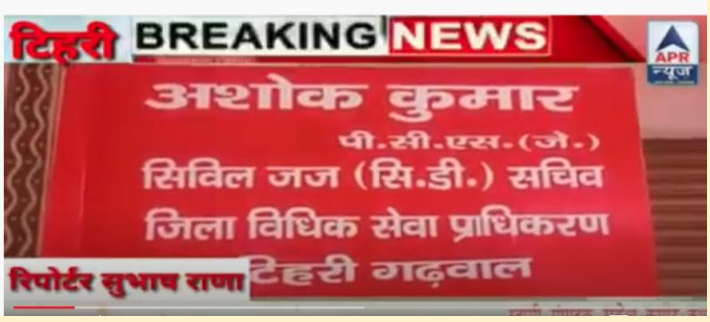

PLV of DLSA, Tehri Garhwal assisting the public at the Vaccination Centre.

PLVs have distributed sanitizer and mask to the needy people in remote areas of district Tehri Garhwal on 15.05.2021

Distribution of Ration Kit and Medical Kit to the needy persons by the PLVs during 01st Week of June, 2021

PLV of DLSA, Tehri Garhwal assisting the public at the Vaccination Centre

As per direction of UKSLSA Nainital Ration Kits, Medicines & Oxygen Cylendar were provided to needy persons and in Cantonement Zone areas as well in the 03rd week of June, 2021.

UDHAM SINGH NAGAR

Secretary, DLSA conducted surprise inspection on 20.05.2021 to Primary Health Center, Bazpur.

PLV of DLSA Udham Singh Nagar distributing the ration kits to public.

PLVs of the district have assisted to Health Workers in vaccination & registration during COVID-19.

Front Office at ADR Center Rudrapur was visited on 09.06.2021 and working of the Front Office was reviewed as NALSA Guidelines of Front Office.

Vaccination drive is being conducted at Khatima Court, U.S. Nagar.

PLV of DLSA, Udham Singh Nagar assisting the administration for sanitization and temperature

PLVs distributed Mask and Sanitizer to the needy common mass in the district on 21.05.2021.

Visit of Sub-Jail Haldwani by the Secretary, U.S. Nagar on 19.06.2021

विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीवास्तव ने किया

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण

अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिये निर्देश

न्यूज प्रिन्ट संवाददाता

रुद्रपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 के मरीजों को भर्ती करने के संबंध में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।इस संदर्भ में जानकारी लेने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. पंकज माथुर के द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के मरीजों कु भर्ती के लिए व्यवस्थाओं हेतु विधायक निधि से 13 लाख रुपये अवमुक्त हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में कोविड-19 संक्रमण की टेस्टिंग के लिए रामपुर मुरादाबाद बॉर्डर पर टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि संग्रह किए गए सैंपल को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर भेजा जाता है। जहां से रिपोर्ट आने में दो-तीन दिन का समय लगता है। साथ ही साथ संभावित संक्रमित मरीजों का एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। जो मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें आशा और

अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा होम आइसोलेशन किया जाता है। साथ ही उन्हें 14 दिन के लिए मेडिकल किट दी जा रही है। गंभीर मरीजों को रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 108 एंबुलेंस की मदद से भर्ती कराया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में तहसील बाजपुर के प्रत्येक गांव में कोविड-19 अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है जिससे कोविड-19 जो कि ट्रेसिंग ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट में आसानी हो रही है।निरीक्षण के दौरान समस्त मेडिकल स्टाफ प्राविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शाहिद, आशुलिपिक ललित कर्नाटक आदि उपस्थित रहे। सचिव श्री श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी व चिकित्सा स्टॉफको कोरोना वायरस से बचाव व चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

87 पराविधिक कार्यकर्ता नियुक्त

रुद्रपुर। कोरोना संक्रमण में मदद के लिए 87 पराविधिक कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कंटेनमेंट जोन, जनजातीय क्षेत्र, मलिन बस्तियों में रह रहे गरीब वर्ग के लोगों को चिकित्सा सहायता, टीकाकरण और भोजन की व्यवस्था करने के लिए पराविधिक कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी विधिक या अन्य प्रकार की सेवा के लिए नियुक्त कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ईमेल dlsausnagar@gmail.com या फोन नंबर 05944-250682 पर भी संपर्क कर सकते हैं। (संवाद)

जमानती भर पाने में असमर्थ बंदियों के परिजनों को भेजें सूचना

उत्तर उजाला ब्यूरो

रुद्रपुर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में कोविड-19 की द्वितीय लहर महामारी के दृष्टिगत जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंहनगर के द्वारा सायं चार बजे अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी उधमसिंहनगर की ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष प्रेम सिंह खिमाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंहनगर अविनाश कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी उधमसिंहनगर रजना राजगुरु, वरिष्ठ जेल अधीक्षक,उपकारागार हल्द्वानी, जिला नैनीताल सतीश कुमार सुखीजा, अभीक्षक केन्द्रीय कारागार, सितारगंज उधमसिंहनगर तथा संयुक्त निदेशक, अभिसोजन, उधमसिंहनगर के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। बैठक में सचिव द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,उधमसिंह नगर प्रेम सिंह खिमाल द्वारा जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार सितारगंज तथा उपकारागार हल्द्वानी, नैनीताल को निर्देशित किया गया कि जिन बंदियों की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। परन्तु वह जमानती भर पाने में असमर्थ है तो उनके परिजनों को सूचना भेजी जाए। यदि उनके पास अधिवक्ता नहीं है तो इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को प्रेषित की जाए। इसके अतिरिक्त बीमार बंदियों के इलाज के लिए सप्ताह में एक बार मेडिकल कैंप आयोजित किये जाएं। गम्भीर बीमारियों वाले बंदियों को पुलिस गार्ड उपलब्ध करवायें ताकि उनका नियमानुसार बाहर के अस्पतालों में इलाज कराया जा सके। मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि शमनीय मामलों में विरुद्ध बंदियों के मामलों को अतिशीघ्र निस्तारण हेतु उनके मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंह नगर द्वारा ओजित लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस दौरान दौरान आशु लिपिक ललित कनौटिक व सहायक सिस्टम ऑफिसर रवि भट्ट उपस्थित रहे।

अधिकारियों को ऑनलाइन निर्देश देते जिला जज प्रेम सिंह खिमाल

On 21.05.2021 Secretary, DLSA US Nagar has visited the observation Home, Rudrapur. Awareness camp was also organzied on the day.

PLV of the district helped Health Department in Registration & Vaccination on 24.05.2021.

PLVs Helped Health Department in Registration and Vaccination during last week of May, 2021.

घरेलू हिंसा पर ऑनलाईन वेबीनार का आयोजन

न्यूज प्रिन्ट संवाददाता

रूद्रपुर । उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देसानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज चाणक्य लॉ कालेज रूद्रपुर के सहयोग से घरेलू हिंसा पर ऑनलाईन वेबीनार का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने चाणक्य लॉ कालेज के विधिक छात्र-छात्राओं व लिंक के माध्यम से अन्य उपस्थित व्यक्तियों को घरेलु हिंसा अधिनियम,2005 न्यायालयों में घरेलु हिंसा के वाद दायर करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये उन्हे जागरूक किया। उन्होने बताया कि संरक्षण अधिकारी द्वारा डीआईआर रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके न्यायालय में समय पर दाखिल न किये जाने के कारण त्वरित निर्णय लेने में देरी होती है।

UTTARKASHI

Secretary, DLSA Uttarkashi visited the Child Observation Home, Dunda on 05th April, 2021

A Legal Literacy Camp was organzied on 02.04.2021 with all Stakeholders about rehabilitation of Victims of Crime Against Women.

Front office established at the DLSA Uttarkashi was visited/inspection by the Secretary, Uttarkashi on 01.04.2021.

PLV and Panel Lawyer meeting on 03rd April, 2021 was held at meeting hall of Judgeship, Uttarkashi.

Visit of Legal Aid Clinic established at remote village on 09.06.2021

PLVs of DLSA Uttarkashi distributed Ration Kit to the needy persons

Secretary, DLSA, Uttarkashi visiting the Govt. hospital

Meeting with Monitoring and Mentoring Committee on 14.06.2021.

Distribution of Medical Kit by the PLVs at Mori Block, Uttarkashi on 21.05.2021

दैनिक समाचार निरीक्षा

समाचार पत्र का नाम राष्ट्रीय सहारा

दिनांक 28/5/202

जिला मॉनिटरिंग समिति ने कोविड अस्पतालों का किया निरीक्षण

■ उत्तरकाशी/एसएनबी।

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बृहस्पतिवार को जिला मॉनीटरिंग समिति उत्तरकाशी ने कोविड अस्पताल व कोविड केयर सेंटर का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने कोविड मरीजों का हालचाल भी जाना।

कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दुर्गा शर्मा ने चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों से वार्ता कर उनका हाल चाल जाना। वार्ता में मरीज सोमेश बिजल्वाण, प्रेम लाल बिजल्वाण, यशवन्त सिंह, जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम कोविड चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर और मेडिकल स्टॉफ उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा संबंधी जानकारी के साथ-साथ आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं।

कोविड मरीजों का हाल जाना

समिति के पदाधिकारियों ने संत्यम टूरिस्ट काम्प्लेक्स कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी किया। इसमें 16 कोविड मरीज भर्ती किये गये हैं। मरीज दलवीर सिंह एवं कु. कल्पना ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में बनाया जा रहा भोजन उच्च गुणवत्ता का है और सही समय पर डाईट के अनुसार प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने बताया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम को कोविड चिकित्सालय के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गयी है।

गढ़वाल विकास निगम में 90 बेड तथा सत्यम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में 80 बैड की व्यवस्था की गयी है, जिसमें 40 बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त बनाये गये। नोडल अधिकारी, गढ़वाल मण्डल विकास निगम डा. विनोद रावत ने बताया कि प्रशासन ने इसमें 7 डॉक्टर, 6 फार्मासिस्ट, 7 स्टॉफ नर्स, 9 वार्ड ब्वाय के साथ-साथ 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की है। निरीक्षण में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री दुर्गा शर्मा, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, आमंत्रित सदस्य हरेन्द्र कुमार यादव, बार एसोसियेशन के अध्यक्ष, आनन्द सिंह पंवार आदि रहे।

कोविड अस्पताल का निरीक्षण करते जिला मॉनिटरिंग समिति के पदाधिकारी।

CONSOLIDATED STATISTICAL INFORMATION OF THE LOK ADALAT/LEGAL AID PROGRAMMES ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM (APRIL-2021 TO JUNE-2021)

S.N.	Name of District	Total No. of Lok Adalats Held	Total No. of Cases Taken up	Total No. of Cases Disposed off	Compensation /Settlement Amount	Realized As Fine (in Rs.)	Total No. of Persons Benefited in Lok Adalats	No. of Camps Organized	Total No. of Persons Benefited in Camps	No. of Persons Benefited Through Legal Aid & Advice	
										Legal Aid	Advice/Other Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ALMORA	01	169	97	1,96,73,523	-	97	08	242	17	06
2	BAGESHWAR	01	22	08	19,46,000	-	08	17	452	01	18
3	CHAMOLI	01	82	38	58,75,977	-	38	22	187	05	04
4	CHAMPAWAT	01	80	18	-	-	18	06	197	06	-
5	DEHRADUN	-	-	-	-	-	-	05	490	63	-
6	HARDWAR	-	-	-	-	-	-	23	1502	87	207
7	NAINITAL	01	489	292	4,14,38,162	-	292	26	1612	40	23
8	PAURI GARHWAL	01	333	146	48,03,047	-	146	05	404	14	02
9	PITHORAGARH	01	244	128	1,79,22,867	-	128	19	2469	04	-
10	RUDRAPARYAG	01	42	20	33,09,805	-	20	07	350	02	11
11	TEHRI GARHWAL	-	-	-	-	-	-	02	136	36	11
12	U. S. NAGAR	01	1737	565	13,18,45,455	-	565	12	475	66	41
13	UTTARKASHI	01	109	74	51,23,698	-	74	07	108	16	-
14	HCLSC, NTL	01	171	48	4,63,41,840	-	48	-	-	-	-
15	UKSLSA, NTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	Total	**11**	**3478**	**1434**	**27,82,80,374**	**-**	**1434**	**159**	**8624**	**357**	**335**

PROGRAMMES/ACTIVITIES INSIDE JAIL CAMPUS DURING (APRIL-2021 TO JUNE-2021)

S.N.	District	Lok Adalats organized in Jails		Legal Literacy Camps organized in Jails		Legal Aid provided to Under Trial Prisoners	Jail Visits
		No. of Lok Adalats organized	No. of cases disposed off	No. of camps organized	Benefited persons	No. of benefited Under Trial Prisoners	Total No. of Jail visit
1	ALMORA	-	-	01	200	11	04
2	BAGESHWAR	-	-	-	-	-	-
3	CHAMOLI	-	-	-	-	01	-
4	CHAMPAWAT	-	-	01	33	05	01
5	DEHRADUN	-	-	01	300	33	01
6	HARDWAR	-	-	01	50	75	01
7	NAINITAL	-	-	05	225	36	04
8	PAURI GARHWAL	-	-	01	177	09	01
9	PITHORAGARH	-	-	03	195	03	01
10	RUDRAPARYAG	-	-	01	40	-	-
11	TEHRI GARHWAL	-	-	01	127	30	01
12	U. S. NAGAR	01	13	01	85	46	02
13	UTTARKASHI	-	-	01	70	09	-
14	H.C.L.S.C., NTL	-	-	-	-	-	-
	Total:-	**01**	**13**	**17**	**1502**	**258**	**16**

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF PERMANENT LOK ADALATS

(Established U/S 22B of Legal Services Authority Act)

(APRIL-2021 TO JUNE-2021)

(i) No. of PLAs existing :- 07 (Almora, Dehradun, Hardwar, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal and U. S. Nagar)
(ii) Total No. of PLAs functioning :- 04 (Dehradun, Hardwar, Nainital and U.S. Nagar)

S.N.	Permanent Lok Adalat	Number of Sittings	No. cases pending as on 31.03.2021	No. of cases received during the period	No. of cases settled during the period	Total Value/Amount of Settlement (₹)
1	Dehradun	21	280	180	01	-
2	Haridwar	06	15	01	01	-
3	Nainital	05	121	02	02	32,130
4	U.S. Nagar	06	148	02	03	-
	Total:-	**38**	**564**	**185**	**07**	**32,130**

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF CASES SETTLED THROUGH MEDIATION

(APRIL-2021 TO JUNE-2021)

(A) Total Number of ADR Centres : **04**
(B) Total No of Existing Mediation Centres other than ADR Centres : **16**
(C) Number of Mediators (Total of both in ADR Centres and Mediation Centres) : **101**

DISPOSAL

S.N.	DESCRIPTION	TOTAL
A	No. of cases received during the month	217
B	Cases settled through Mediation	43
C	Cases returned as not settled	137
D	Non-starter cases which were retuned as mediation could not commenced	41
E	No. of Connected cases	-
F	No. of Cases pending at the end of the month	338

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF VICTIM COMPENSATION SCHEME U/S 357A Cr.P.C.

(APRIL-2021 TO JUNE-2021)

No. of applications received directly by Legal Services Institutions (A)	No. of applications/orders marked/directed by any Court (B)	Total No. of applications received including Court orders (A+B)	No. of applications decided	No. of applications pending	Total Compensation Amount (₹)
04	07	11	05	49	6,85,000

CONTACT US

S.No.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBER
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary, Officer on Special Duty	Office: 05942-236762, Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office: 05942-232085, Telefax: 237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Shri Malik Mazhar Sultan, Chairman Shri. Ravi Sankar Mishra, Secretary	Office: 05962-231105, Mobile: 9456597025 / 9627929664
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Shri S. M. D. Danish, Chairman Ms. Tricha Rawat, Secretary	Office: 05963-221844 Mobile: 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli	Shri Narendra Dutt, Chairman Shri Sudhir Kumar Singh, Secretary	Office: 01372-251529 Mobile: 9456596995
06	District Legal Services Authority, Champawat	Shri Ashish Naithani, Chairman Shri Udai Pratap Singh, Secretary	Office: 05965-230915 Mobile: 9456596985
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Shri Pradeep Pant, Chairman Ms. Neha Kushwaha, Secretary	Office: 0135-2520873 Mobile: 9412097740
08	District Legal Services Authority, Haridwar	Shri Vivek Bharti Sharma, Chairman Shri Abhay Singh, Secretary	Office: 01334-239780 Mobile: 9412078358
09	District Legal Services Authority, Nainital	Shri Rajendra Joshi, Chairman Shri Imran Mohd. Khan, Secretary	Office: 05942-237159 Mobile: 9411102137 / 9456597027
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Shri S. K. Tyagi, Chairman Shri Sandip Kumar Tiwari, Secretary	Office: 01368-221815 Mobile: 9456596225
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Dr. G. K. Sharma, Chairman Ms. Vibha Yadav, Secretary	Office: 05964-228322 Mobile: 9456592155
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Shri Shrikant Pandey, Chairman Ms. Anamika, Secretary	Office: 01364-233796 Mobile: 8126572918 / 9458592154
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Shri Amit Kumar Sirohi, Chairman Shri Ashok Kumar, Secretary	Office: 01376-233424 Mobile: 9412077221 / 9456596996
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Shri Prem Singh Khimal, Chairman Shri Avinash Kumar Srivastava, Secretary	Office: 05944-250682 Mobile: 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Shri Kaushal K. Shukla, Chairman Ms. Durga, Secretary	Office: 01374-226557 Mobile: 9412078165

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,
e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
website : www.slsa.uk.gov.in
Portal For Free Legal Aid: https://uklegalaidservices.uk.gov.in
Facebook Link: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa
Facebook Page Link: https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873
Youtube Link: https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ
TOLL FREE NO. 18001804000, 15100